केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं. 72/टीडी/2023 दिनांक: 10.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-IV अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आदर्श स्टेनलैस प्राइवेट लिमिटेड, 21–23, मंगल आरकेड, द्वितीय तल, टेल्को रोड, अपॉजिट होटल पंचशील, चिंचवड, पुणे–411019, महाराष्ट्र द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है।

2. आदर्श स्टेनलैस प्राइवेट लिमिटेड को अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट **www.adarshstainless.com** में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 9.7.2023 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-IV में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

4. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर **31.7.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग ने **9.8.2023** को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव